

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1821 / 2022

दिनांक 01.06.2022

श्री दीपक पाण्डे (RJ0218), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर को दिनांक 09.05.2022 से 13.05.2022 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 08.05.2022 एवं 14.05.2022 से 15.05.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री पाण्डे की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर के पद पर ही की गई ।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/23/1996/4135

दिनांक 01.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक 42 दिनांक 16.05.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री दीपक पाण्डे (RJ0218), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, सवाई माधोपुर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार